

टेण्डर/निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त बिजनेस सेन्टर (फोटो कापियर इत्यादि), मिल्क पार्लर एवं ए0टी0एम0 हेतु भूखण्ड का आवन्तन किया जाना प्रस्तावित है।

1- निविदा प्रपत्र क्य करने की तिथि : 10.07.2023 से 25.07.2023 तक

2- निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि : 26.07.2023 समय अपराह्न 14:00बजे तक

3- निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि : 26.07.2023 समय अपराह्न 15:00बजे तक

रिक्त बिजनेस सेन्टर (फोटो कापियर इत्यादि), मिल्क पार्लर एवं ए0टी0एम0 हेतु भूखण्ड का आवन्तन किया जाना है, उसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं	बस स्टेशन का नाम	कैन्टीन/स्टॉल का विवरण	स्टॉल हेतु आवाटित भूमि/दुकान का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (प्रतिमाह कर सहित)	संचालन अवधि	अन्य विवरण
1	राजाजीपुरम बस स्टेशन	1- बिजनेस सेन्टर (फोटो कापियर इत्यादि)	10×10 भूमि	11,800	3 वर्ष	रिक्त
		2- मिल्क पार्लर पराग/अमूल व नमस्ते इण्डिया बूथ	10×10 भूमि	7080	3 वर्ष	रिक्त
2-	राम-राम बैंक चौराहा बस स्टेशन	1- बिजनेस सेन्टर (फोटो कापियर इत्यादि)	08×7.6 निर्मित दुकान	11,800	3 वर्ष	रिक्त
		2- मिल्क पार्लर पराग/अमूल व नमस्ते इण्डिया बूथ	08×5.6 निर्मित दुकान	7080	3 वर्ष	रिक्त

टेण्डर के माध्यम से (वित्तीय बिड में) "सर्वोच्च लाइसेंस शुल्क की दर" देने वाले टेकेदार दिनांक 10.07.2023 से 25.07.2023 तक समय 16:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) में रु0 590.00 (रु0 पाच सौ नब्बे) मात्र जीएसटी सहित लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के दुबगा डिपो के कोषागार में जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 26.07.2023 को समय 14:00 बजे तक टेण्डर प्रस्ताव सील्ड लिफाफे में, लिफाफे के ऊपर "बस स्टेशन का नाम" "स्टॉल का नाम" तथा अपना नाम व पता, मोबाइल नम्बर सहित अंकित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ के कार्यालय में टेण्डर बॉक्स में डाले जा सकतें।

निविदा प्रक्रिया की मुख्य शर्तें

1- स्टॉल के संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी तथा स्टॉल के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिए लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि संचालक द्वारा स्वमेव की जाती रहेगी।

- 2— लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के दुबगा डिपो के कोषागार से ₹0 590/- (रूपया पाँच सौ नब्बे) मात्र जी0एस0टी0 सहित जमा कर निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद, स्वप्रमाणित करते हुए निविदादाता द्वारा निविदा के साथ (तकनीकी बिड में) संलग्न की जाएगी। एक स्टॉल के लिए एक ही निविदा प्रपत्र मान्य होगा।
- 3— निविदा प्रपत्र को एल0सी0टी0एस0एल0 की वेबसाईट: lctsli.co.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र शुल्क ₹0 500.00 + 90.00 (18 प्रतिशत सर्विसेज लिमिटेड के कोष में दुबगा डिपो, लखनऊ में जमा कराकर जमा रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति अथवा समतुल्य राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट "Lucknow City Tranansport Services Ltd" के पक्ष में बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4— वित्तीय एवं तकनीकी निवादा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में डाली जायेगी। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड अंकित किया जायेगा। 02 बिड प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी बिड में उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- 5— निविदादाता सील्ड निविदा, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ पर स्थित टेण्डर बाक्स में अपरान्ह 02.00 बजे तक डाल सकेंगे। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
- 6— स्टॉल की नीलामी का निस्तारण निविदा की औपचरिकताएं पूर्ण करने पर प्राप्त "सर्वोच्चतम लाइसेन्स शुल्क की दर" के आधार पर किया जायेगा।
- 7— सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
- 8— सफल निविदादाता को समस्त औपचरिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने तथा अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर स्टॉल संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- 9— प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न किया गया अर्नेस्ट मनी का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित निविदादाताओं को वापस किया जायेगा।
- 10— निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार गठित चयन समिति में निहित होगा।
- 11— स्टॉल हेतु अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क के चयनित निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न कराये जाने की स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 12— निविदादाता द्वारा स्टाल की अर्नेस्ट मनी हेतु आरक्षित मूल्य का तीन गुने का बैंक ड्राफ्ट "Lucknow City Tranansport Services Ltd" के नाम से बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 13— सफल निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी मासिक लाइसेंस शुल्क की 03 गुना धनराशि "Lucknow City Tranansport Services Ltd" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाताओं की

- अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की देय धनराशि में समयोजित किया जायेगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जब्त करते हुए बिन्दु संख्या-11 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 14— अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के अन्दर नियमानुसार प्रतिभूति धनराशि वापस किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- 15— यदि चयनित निविदादाता/स्टाल संचालक द्वारा अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही बीच में ही स्टॉल छोड़कर/बन्द कर चला जाता है तो प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी परन्तु यदि स्टॉल संचालन अनुबन्ध में निर्धारित 03 माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली/बन्द करता है तो उसके अन्य देयकों की प्रतिभूति में से समयोजित करते हुए शेष धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
- 16— एल0सी0टी0एस0एल0 एवं स्टाल संचालक दोनों के द्वारा 03 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। नोटिस स्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में निहित होगा।
- 17— चयनित निविदादाता/स्टॉल संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपना लाइसेन्स शुल्क जमा कराया जायगा अन्यथा 10 तारीख के बाद विलम्ब दिवस का आगणन 11वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक शुल्क का 1/20वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप जमा कराना होगा।
- 18— एक माह से अधिक का विलम्ब अनुबन्ध नहीं होगा तथा स्टाल आगामी 10 तारीख को स्वेच्छा समाप्त हुआ मानते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- 19— स्टाल के विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु/सेवा को एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जायेगा। मूल्य सूची का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से स्टॉल में लगाया जायेगा।
- 20— बस स्टेशन परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टॉल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुए अनुबन्ध निरस्त किये जाने, प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने एवं स्टाल संचाल को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 21— स्टॉल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
- 22— स्टाल का अनुबन्ध वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी लाइसेन्स शुल्क के चार प्रतिशत मूल्य के आगणित धनराशि के स्टैम्प पेपर पर ही तीन वर्षों के लिए किया जायेगा।
- 23— कैण्टीन/स्टाल का संचालन निर्धारित स्थान पर ही कराना होगा, जो जहाँ जैसा भी है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर संचालित कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त टेण्डर विजेता किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- 24— एल0सी0टी0एस0एल0 द्वारा स्टॉल हेतु केवल भूखण्ड आवंटित किया जाएगा। आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य निविदाकर्ता द्वारा कराया जाएगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की कोई धनराशि एल0सी0टी0एस0 द्वारा नहीं दी जाएगी।
- 25— मिल्क पार्लर के चयनित स्टॉल संचालक द्वारा शासन द्वारा संचालित सम्बन्धित संस्था यथा मिल्क पार्लर पराग/ अमूल व नमस्ते इण्डिया से स्टॉल आवंटित किये जाने की तिथि से 01 माह के अन्दर सम्बन्धित संस्था से सहमति पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सहमति/अधिकार पत्र उपलब्ध न होने पर प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।


- 26— मिल्क पार्लर संचालक को सम्बन्धित संस्था द्वारा उत्पादित सामग्री के ही विक्रय की अनुमति होगी।

तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्त

- 1— ऐसे निविदादाता, जिन्हे पूर्व में किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, वे निविदा डालने के लिए अहं नहीं होंगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा काली सूची में न होने का नोटराइज्ड शपथ—पत्र मूल रूप में अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा।
- 2— टेण्डर फार्म रु0 500.00 जी0एस0टी0 अतिरिक्त के भुगतान की रसीद की स्वयं सत्यापित छाया प्रति अथवा रु0 590.00 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, जो "Lucknow City Tranansport Services Ltd" के नाम पर होगा, को मूल रूप में तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3— आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
- 4— पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
- 5— आरक्षित दर के तीन गुना का आर्नेस्ट मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।
- 6— सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र अनुबन्ध निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त आशय का लिखित रूप से एक लिखित प्रार्थना—पत्र तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न किया जायेगा। जिन निविदादाता को जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र प्राप्त हो, उसकी स्वयं सत्यापित प्रति अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित समयावधि में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- 7— निविदा प्रपत्र/आवेदन प्रारूप तथा तकनीकी बिड के प्रारूप को विधिवत् भरने वाले निविदादाताओं की ही निविदा स्वीकार की जायेगी, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट भरे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 8— तकनीकी बिड के लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा स्टाल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

वित्तीय बिड की मुख्य शर्तें

- क— वित्तीय बिड के प्रारूप में क्रम संख्या 01 से 07 तक स्पष्ट सूचना अंकित की जायेगी तथा क्रम संख्या 05 व 06 में निविदादाता द्वारा आरक्षित मूल्य से अधिक की दर (मय सभी टैक्सों के) अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप में अंकित की जायेगी। वित्तीय बिड के लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड, अपना नाम, पता, मो0नं0 तथा स्टाल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
- ख— एक ही लिफाफे में दो बिडें स्वीकार नहीं की जायेगी।


(आर0क0त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,

केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल, चारबाग, लखनऊ

ई-मेलआईडी:mdlcts12012@gmail.com

पत्रांक ३४५ एलसीटी / 22-स्टॉल-कैण्टीन / टेण्डर-विज्ञाप्ति / 23

दिनांक: १० जूलाइ 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी/टेण्डर विज्ञाप्ति को नोटिस बोर्ड पर चर्चा कराने हेतु प्रेषित:-

- 1— मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 2— निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3— क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 4— मुख्य वित्त अधिकारी, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ।
- 5— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दुबगगा डिपो।
- 6— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, गोमतीनगर डिपो।
- 7— कोषाध्यक्ष, लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, दुबगगा डिपो।
- 8— नोटिस बोर्ड, प्रबन्ध निदेशक, एल०सी०टी०एस०एल० कार्यालय, राजाजीपुरम टर्मिनल, राम-राम बैंक चौराहा बस स्टेशन, लखनऊ द्वारा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रवर्तन), एल०सी०टी०एस०एल०, लखनऊ।
- 9— वेबसाईट एल०सी०टी०एस०एल०, लखनऊ।

(आर०क०त्रिपाठी)
प्रबन्ध निदेशक